रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-सा.-16092025-266178
SG-DL-W-16092025-266178

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 9]	दिल्ली, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2025, बृहस्पतिवार/भाद्र 14—भाद्र 20, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216
No. 9]	DELHI, SEPTEMBER 5— SEPTEMBER 11, 2025, THURSDAY/BHADRA 14—BHADRA 20, 1947	[N.C.T.D. No. 216

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

फा. सं. 30/सामान्य-I/ओ.सी./ओ.एल./डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V) की धारा 139 (ख), 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा यथा संशोधित एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333(1)(ख) तथा शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 3(2)(क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध श्री गौरव, उप शासकीय समापक, "शासकीय समापक कार्यालय", 8 वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली, को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु या इस न्यायालय के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केवल न्यायिक कार्यवाहियों में शासकीय समापकों हेतु या उनके ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथपत्रों को सत्यापित करने के प्रयोजन हेतु शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति सहर्ष करता है :-

यथा नियुक्त शपथ आयुक्त इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का, जहाँ तक लागू हो, पालन करेंगे|

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 29th August, 2025

F.No. 30_/Genl.-I/OC/OL/DHC.—In exercise of powers conferred by Section 139(b) of the Code of Civil Procedure (Act V of 1908) as amended by Amendment Act No.104 of 1976 and Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969, High Court of Delhi has been pleased to appoint Shri Gaurav, Deputy Official Liquidator, "Office of Official Liquidator", 8th floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, attached to High Court of Delhi, as Oath Commissioner for a period of two years from the date of issue of this Notification or until further orders of this Court whichever be earlier only for the purpose of attesting affidavits intended to be filed for and on behalf of the official Liquidator in Judicial proceedings:-

Oath Commissioner so appointed shall observe instructions issued by this Court from time to time so far as applicable.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.16 14:22:01 +05'30'